



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032026-270986  
CG-DL-E-16032026-270986

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1305]

नई दिल्ली सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 1305]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

सं. 26/2026-सीमा शुल्क (एन.टी.)

का.आ. 1364(अ).—केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) तथा धारा 5 की उपधारा (1), (4) और (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21 / 2022 - सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 31 मार्च, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्या एस.ओ. 1537 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
“26.	प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क, विशाखापट्टनम।	(i) विशाखापट्टनम बंदरगाह, गंगावरम बंदरगाह, विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बय्यावरम गांव में कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कासिमकोटा मंडल, विशाखापट्टनम जिला, विशाखापट्टनम, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम के ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम के अंतर्गत क्षेत्र; (ii) अनकापल्ली, अल्लूरी सीताराम राजू, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, पार्वतीपुरम मन्यम और श्रीकाकुलम जिलों में सभी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, हवाई अड्डे, निर्यातान्मुखी इकाइयां, विशेष आर्थिक क्षेत्र और गोदाम ; (iii) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य में आधार रेखा का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 189(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2002 के द्वारा विस्तारित किया गया है।”

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 450/48/2024-सीमा शुल्क-IV]

अनुरिमा शर्मा, निदेशक (सीमा शुल्क)

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 21/2022- सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 31 मार्च, 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में संख्या एस.ओ. 1537(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2026

**No. 26/2026-Customs (N.T.)**

**S.O. 1364 (E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 read with section 3 and sub-sections (1),(4) and (5) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21 /2022-Customs (N.T.), dated the 31<sup>st</sup> March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1537 (E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2022, namely:-

In the said notification, in the TABLE, for serial number 26 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“26.	Principal Commissioner of Customs, Vishakhapatnam.	(i) Port of Vishakhapatnam, Gangavaram Port, Visakhapatnam International Airport, Container Freight Station at Bayyavaram Village, Kasimkota Mandal, Vishakhapatnam District, Vishakhapatnam, Special Economic Zone and areas under the Greater Vishakhapatnam Municipal Corporation of Vishakhapatnam in the state of Andhra Pradesh; (ii) All Inland Container Depots, Airports, Export Oriented Units, Special Economic Zones, and warehouses in the districts of Anakapalli, Alluri Sitharama Raju, Vishakhapatnam, Vizianagaram, Parvathipuram Manyam and Srikakulam;

		(iii) Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India facing the baseline in the State of Andhra Pradesh to which the Customs Act, 1962 has been extended <i>vide</i> Ministry of External Affairs' notification number S.O. 189(E), dated the 7th February, 2002.”
--	--	--

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/48/2024-Cus-IV]

ANURIMA SHARMA, Director (Customs)

**Note :** The principal notification No. 21/2022-Customs (N.T.), dated the 31<sup>st</sup> March, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1537(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2022.